तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/7/15	प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात है। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पडौसी है। जिनको भूमि की जानकारी नही होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते है। इसलिए प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता है अन्त मे कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थर गढी किये जाने के आदेश फरमावे हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2069-2072 मौजा आकरोल पटवार हल्का शिवनगर तहसील विजयनगर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर. 836 रकबा 02-13-00, 837-00-17-00, 838-01-17-00, 850-01-10-00 551 रकबा - 851 रकबा 03-09-00, 852 रकबा-01-17-00, 549 रकबा 01-11-00, 550 रकबा 00-18-00, 855 रकबा 02-02-00, 854 रकबा-02-11-00, 856/1 रकबा 02-00-00 भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया है। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है। :- आदेश :- प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा आकरोल पटवार हल्का शिवनगर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 836 रकबा 02-13-00, 837 रकबा 00-17-00, 838 रकबा 01-17-00, 850 रकबा 01-10-00, 851 रकबा 03-09-00 852 रकबा-01-17-00, 549 रकबा-01-11-00, 550 रकबा-00-18-00 855 रकबा 02-02-00, 854 रकबा 02-11-00, 856/1 रकबा-02-00-00 भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुऐ पत्थर गढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी से नियमानुसार 500/- रुपये पत्थर गढी शुल्क वसूल किये जाकर राजकोष मे जमा करवाया जावे। तहसीलदार विजयनगर को दो प्रतियों मे रुक्का जारी करे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दफ्तर दाखिल करे। आदेश आज दिनांक 20/7/15 को कैम्प कार्यालय हाजा पर सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर) [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.26 17:02:14 IST
Reason: SelfAttested